मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ-11-8/2013/नि/चार भोपाल, दिनांक31/8/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः- राज्य शासन के उपक्रम/निगम/मंडल/संस्थाओं द्वारा राज्य शासन के बजट का आहरण कर राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश देने बाबत।

संदर्भः-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.11-3/2009/नि/चार, दिनांक 22 अप्रेल,2009

राज्य शासन के संदर्भित निर्देशों के द्वारा सभी विभागों से यह अपेक्षा की गई थी कि विभागों के उपक्रम/निगम/मंडल/संस्थाओं द्वारा मैदानी स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की राशि एकमुश्त आहरण कर बैंकों में ना जमा कराई जाये।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन (प्रति संलग्न) के पैरा-3 के अनुसार विभागों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह शासन के आदेशों का उल्लंघन है एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। ऐसा पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिये।

3/ पुनः सभी विभागों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 8 एवं 9 में निहित प्रावधान अनुसार शासकीय कोष से धन का आहरण उसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब इस राशि के व्यय करने की तत्काल आवश्यकता हो। राज्य शासन से

राशि आहरण कर इसे बैंक खातों में जमा रखना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। अतः वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन (प्रति संलग्न) के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही मैदानी स्तर पर सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(अजय नाथ) 30-8-2013
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-8/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक31 अगस्त, 2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
22. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(शक्ति शरण) 31/8/13
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita
http://www. Finance.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-3/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 22. अप्रैल, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के उपक्रम/निगम/मंडल/संस्थाओं द्वारा राज्य शासन के बजट का आहरण कर राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश देने बावत् ।

--00--

राज्य शासन के बजट से राशि आहरित कर कतिपय योजनाएं विभागों/उपक्रमों/निगमों/मंडलों/संस्थाओं द्वारा मैदानी स्तर पर क्रियान्वयित की जाती है । वित्त विभाग की जानकारी में यह तथ्य आया है कि कतिपय प्रकरणों में विभागों/उपक्रमों/निगमों/मंडलों/संस्थाओं द्वारा शासकीय कोष से आहरित राशि संस्था के बैंक खातों में रख लिया जाता है । उनके द्वारा इस राशि पर बैंक से ब्याज अर्जित कर इसका उपयोग अपनी सस्था के कार्यों में किया जाता है ।

2/ मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 8-9 में निहित प्रावधान अनुसार शासकीय कोष से धन का आहरण उसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब इस राशि को व्यय करने की तत्काल आवश्यकता हो । इन संस्थाओं द्वारा उक्त वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है । इस प्रकार की कार्यवाही से जहां एक ओर शासन को ब्याज का नुकसान उठाना पड़ता है वहीं दूसरी ओर इन संस्थाओं द्वारा मैदानी स्तर पर कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में अपेक्षित रूचि नहीं लेने से योजनाओं की लागत में वृद्धि होती है तथा शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार आता है ।

3/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :-

1. शासकीय कोष से राशि उसी स्थिति में आहरित की जाये, जब उस राशि के तत्काल व्यय की आवश्यकता हो ।
2. किसी भी संस्था को संचित निधि से राशि एक किश्त में न देकर चार किश्तों में दी जाये । इसके लिये उक्त संस्था से राशि के व्यय की योजना प्राप्त कर उसके अनुसार आहरण किया जाये ।
3. यदि संस्था के पास योजना हेतु पूर्व में प्रदत्त कुछ राशि शेष है तो सर्वप्रथम उसका उपयोग कराया जाये जब संस्था के पास उपलब्ध शेष राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से कम रह जाये तभी उसे प्रथम किश्त प्रदान की जाये । भविष्य में संस्था के पास उपलब्ध राशि वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से कम हो जाने पर ही उसे आगामी किश्त का भुगतान किया जाय ।

4. किसी भी संस्था द्वारा राज्य की संचित निधि से अनुदान को छोड़कर अन्य मदों में प्राप्त राशि पर ब्याज अर्जित करना उचित नहीं है । अतः विभाग संचित निधि से प्राप्त ऐसी राशि पर अर्जित ब्याज को नियमित रूप से शासकीय कोष में वापिस जमा करना सुनिश्चित करें ।

4/ अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां क्रमांक : एफ 11-3/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 22.अप्रैल, 2009

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/आडिट-1/2) म.प्र. ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र.
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म.प्र.
4. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.

की ओर पालनार्थ ।

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग